कार्यालय पुलिस अधीक्षक, जनपद फतेहपुर

प्रेस नोट, जनपद फतेहपुर

दिनांकः 14.11.2026

नाबालिग बच्चों को आईफोन, मोबाइल, वीडियो गेम एवं रुपये का लालच देकर तथा डरा-धमकाकर घरों से जेवरात चोरी/धोखाधड़ी कराने वाले गिरोह का थाना कोतवाली पुलिस ने किया खुलासा; तीन घटनाओं में संलिप्त 02 अभियुक्त गिरफ्तार

अभिभावक रहें सतर्क! प्रलोभन एवं ब्लैकमेलिंग से बच्चों को निशाना बना रहे हैं अपराधी — फतेहपुर पुलिस की जनसामान्य से अपील

पुलिस अधीक्षक फतेहपुर श्री अभिमन्यु मांगलिक के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, अपर पुलिस अधीक्षक फतेहपुर के मार्गदर्शन तथा क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल पर्यवेक्षण में आज दिनांक 14.11.2026 को थाना कोतवाली पुलिस द्वारा नाबालिग बच्चों को बहला-फुसलाकर एवं विभिन्न प्रकार के प्रलोभन देकर उनके घरों से सोने-चाँदी के जेवरात निकलवाने वाले गिरोह का खुलासा करते हुए 02 नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। विवेचना के दौरान इस गिरोह की तीन अलग-अलग घटनाओं में संलिप्तता सामने आई है।

अभिभावकों के लिए जागरूकता अपीलः

प्रकरणों में सामने आए तथ्यों के अनुसार, अभियुक्तों द्वारा 12 से 14 वर्ष के नाबालिग बच्चों को सीधे अथवा उनके साथ पढ़ने वाले सहपाठियों के माध्यम से अपने संपर्क में लेकर होटल/रेस्टोरेंट में खाना-पीना खिलाने, आईफोन, मोबाइल, वीडियो गेम, रुपये एवं दोगुना पैसा देने जैसे प्रलोभन दिए जाते थे। इसके बाद बच्चों को घरों में रखे जेवरात की जानकारी का लाभ उठाकर घर के लॉकर व अलमारी से आभूषण लाने के लिए प्रेरित किया जाता था। एक प्रकरण में नाबालिग से पहली बार जेवरात लेते समय उसका वीडियो बना लेने तथा बाद में वीडियो सार्वजनिक करने, मारने एवं पुलिस में फँसाने की धमकी देकर (ब्लैकमेल कर) घर से और जेवरात लाने का दबाव बनाने की बात भी सामने आई है। जेवरात लेने के बाद बच्चों को न तो प्रलोभन में कही गई वस्तुएं व रुपये दिए जाते थे और न ही जेवरात वापस किए जाते थे।

फतेहपुर पुलिस की अभिभावकों से अपीलः अभिभावक अपने बच्चों की गतिविधियों, व्यवहार एवं संगति पर विशेष ध्यान दें। बच्चों को समझाएं कि किसी भी व्यक्ति के लालच में आकर घर से रुपये, आभूषण अथवा अन्य कीमती सामान किसी को न दें। यदि कोई व्यक्ति मोबाइल, आईफोन, वीडियो गेम, रुपये या अन्य उपहार देने का लालच दे अथवा होटल/रेस्टोरेंट में खाना खिलाने के बहाने संपर्क में लेने का प्रयास करे, तो तत्काल अभिभावकों को जानकारी दें। किसी भी धमकी या दबाव में आने के बजाय तुरंत परिजनों एवं पुलिस को सूचित करें।

घटनाओं एवं पंजीकृत अभियोगों का संक्षिप्त विवरण:

1. प्रथम घटना (मु0अ0सं0 0476/2026 धारा 316(2) बीएनएस, थाना कोतवाली): प्रार्थी अनुज सिंह पुत्र अजीत सिंह निवासी गली नं0 5, टीचर्स कॉलोनी, हरिहरगंज, थाना कोतवाली, जनपद फतेहपुर द्वारा तहरीरी सूचना दी गई कि उनका 14 वर्षीय भतीजा निवासी कलक्टरगंज, फतेहपुर उनके घर आता-जाता था तथा घर का लड़का होने के कारण उसे घर में रखे सामान की पूरी जानकारी थी। दिनांक 30.09.2026 को सायं करीब 04:00 बजे जब प्रार्थी अपनी पत्नी के साथ बाजार गए थे, उसी दौरान अभय सिंह द्वारा घर के लॉकर में रखे जेवरात चोरी कर रहमान पुत्र कय्यूम एवं अरम पुत्र इरशाद आलम निवासीगण मसवानी, थाना कोतवाली, जनपद फतेहपुर को दे दिए गए। उक्त दोनों द्वारा अभय को आईफोन एवं कुछ रुपये देने का लालच दिया गया था। चोरी किए गए जेवरात में 10 सोने की अंगूठियां, 01 हीरे की अंगूठी, 01 सोने का चोकर, 02 सोने की जंजीर, 01 सोने का मंगलसूत्र, 02 सोने की चूड़ियां एवं बच्चे की 01 चाँदी की करधनी शामिल हैं। जेवरात लेने के बाद न तो अभय को आईफोन एवं रुपये दिए गए और न ही जेवरात वापस किए गए। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0 0476/2026 धारा 316(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

2. द्वितीय घटना (मु0अ0सं0 553/2026 धारा 318(4), 351(2) बीएनएस, थाना कोतवाली): दिनांक 13.11.2026 को वादी उदय शंकर पुत्र रामधनी निवासी टीचर्स कॉलोनी, हरिहरगंज, थाना कोतवाली, जनपद फतेहपुर द्वारा प्रार्थना पत्र देकर अवगत कराया गया कि उनके घर से पिछले कुछ दिनों से धीरे-धीरे जेवरात गायब हो रहे थे। जानकारी करने पर ज्ञात हुआ कि उनके 13 वर्षीय नाबालिग पुत्र को उसके साथ पढ़ने वाले कृष्णा निवासी मोहल्ला मसवानी, बाकरगंज के माध्यम से रहमान पुत्र कय्यूम एवं अरम पुत्र इरशाद आलम निवासीगण मोहल्ला मसवानी, बाकरगंज, जनपद फतेहपुर द्वारा संपर्क में लेकर रेस्टोरेंट/होटल में खाना-पीना खिलाने, दोगुना पैसा देने, वीडियो गेम एवं मोबाइल आदि का लालच देकर घर से जेवरात लाने के लिए प्रेरित किया गया। आरोप है कि पहली बार जेवरात प्राप्त करने के दौरान नाबालिग का वीडियो बना लिया गया तथा बाद में वीडियो सार्वजनिक करने, मारने एवं पुलिस में फँसाने की धमकी देकर घर से और जेवरात लाने का दबाव बनाया गया। वादी के अनुसार घर से 01 अंगूठी, 01 मंगलसूत्र एवं 01 जोड़ी झुमके गायब हैं। प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0 553/2026 धारा 318(4), 351(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया है।

3. तृतीय घटना (मु0अ0सं0 0554/2026 धारा 318(4) बीएनएस, थाना कोतवाली): दिनांक 13.11.2026 को वादी रोहित पुत्र राजकरन निवासी मसवानी, जनपद फतेहपुर द्वारा प्रार्थना पत्र देकर अवगत कराया गया कि करीब डेढ़ माह पूर्व उनके घर से सोने की 03 जोड़ी झुमकी, 04 सोने की अंगूठी, 01 बड़ा व 01 छोटा सोने का मंगलसूत्र, 01 सोने की नाक की नथुनी, 01 सोने की बेदी तथा चाँदी के 09 सिक्के गायब हो गए थे। काफी खोजबीन के बाद भी सामान का पता नहीं चला। बाद में जानकारी हुई कि रहमान पुत्र कय्यूम एवं अरम पुत्र इरशाद आलम निवासीगण मसवानी, जनपद

फतेहपुर द्वारा वादी के करीब 12 वर्षीय भांजे को बहला-फुसलाकर उक्त सामान घर से निकलवाया गया तथा वापस नहीं किया गया। प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0 0554/2026 धारा 318(4) बीएनएस पंजीकृत किया गया है।

गिरफ्तारी एवं अभियुक्तगण का विवरणः

पुलिस अधीक्षक फतेहपुर श्री अभिमन्यु मांगलिक के निर्देशन में वांछित/वारंटियों की गिरफ्तारी एवं अपराध तथा अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, अपर पुलिस अधीक्षक फतेहपुर के मार्गदर्शन तथा क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल पर्यवेक्षण में आज दिनांक 14.11.2026 को थाना कोतवाली पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोगों की विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान दोनों नामजद अभियुक्तगण 1. रहमान खान पुत्र कय्यूम खान निवासी मोहल्ला बाकरगंज, थाना कोतवाली, जनपद फतेहपुर (उम्र करीब 22 वर्ष)।

2. अरम पुत्र इरशाद आलम निवासी मसवानी, बाकरगंज, थाना कोतवाली, जनपद फतेहपुर (उम्र करीब 22 वर्ष) को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार दोनों अभियुक्तों से पूछताछ की जा रही है तथा पूछताछ के आधार पर अग्रिम आवश्यक विधिक कार्यवाही की जाएगी।

सोशल मीडिया सेल
जनपद फतेहपुर